(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 74/2021 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2022/259

1. सन्तोष देवी पत्नी श्री नोरंगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
2. रेशमी देवी पत्नी श्री मनभर जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

............प्रार्थीगण

– ब ना म –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. फुलाराम पुत्र तुलसाराम जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
3. घीसाराम पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
4. नोरंगलाल पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
5. मनभर पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
6. अशोका पुत्री श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
7. धनकोरी देवी पत्नी श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
8. मणी देवी पुत्री श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
9. राजकुमार पुत्र श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
10. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
11. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जुगलाल जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
12. सहीराम पुत्र गणपत राम जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
13. हुक्मीचंद्र पुत्र गणपत राम जाति अहीर निवासी पुहानिया तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

..........अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री अशोक स... अधिवक्ता।
2. अप्रार्थीगण की ओर से – एक पक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 28/3/23

(1) आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार सेवामे पेश हैं।

1. यह कि वाके ग्राम पुहानियॉ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) स्थित कृषि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 159 के ख. न. 625 रकबा 1.05 हैक्टर के वादीयागण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादिया संख्या 1 का 1/2 भाग तथा वादीया संख्या 2 का भी 1/2 भाग है। वादिया गण ने अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारा में उपरोक्त खसरा नम्बर 625 रकबा 1.05 है0 भूमि वादिया संख्या 1 के हिस्से व कब्जे काश्त में हैं।
2. यह कि वाके ग्राम पुहानियॉ में स्थित कृषि भूमि संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 622 रकबा 1.05 है0 खसरा नम्बर 765/621 रकबा 0.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 फुलाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है।
3. यह कि वाके ग्राम पुहानियॉ तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 620 रकबा 0.86 है0 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है खंसरा नम्बर 620 में से पुख्ता कटानी रास्ता गॉव चितोसा को जाता है।
4. यह कि वाके ग्राम पुहानियॉ तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खसरा नम्बर 621 रकबा 0.33 है0 के खातेदार प्रार्थी संख्या 6 लगायत 13 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
5. यह कि ग्राम पुहानियॉ से खानपुर ग्राम चितोसा को पूर्व से पश्चिम तरफ एक कटानी आम रास्ता खसरा नम्बर 620 के मध्य से जाता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 625 रकबा 1.05 है0 से सटकर खसरा नम्बर 621/2 यानि कि खसरा नम्बर 621 व खसरा नम्बर 765/621 स्थित है। इससे सटकर खसरा नम्बर 620 स्थित है जिसके बिच में आम कटानी रास्ता जाता है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 625 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से पूर्व से पश्चिम को चलता हुआ खसरा नम्बर 622 की [illegible] मेड के सहारे सहारे चलता हुआ खसरा नम्बर 621/1 व खसरा नम्बर 621/2 यानि खसरा नम्बर 621 व खसरा नम्बर 765/621 के [illegible] के सहारे होता हुआ खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नम्बर 620 में घुसकर कटानी आम रास्ता में मिल जाता है तथा आगे गॉव में चला जाता है। उक्त आम रास्ता से प्रार्थीया गण अपने खेत में कृषि जोतने, सिंचाई, बुवाई करने के लिये ट्रेक्टर, ऊटगाडी आदि साधन लाने ले जाने के लिए सबसे निकटतम व छोटा रास्ता यह ही है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीयागण के खेत में आने जाने ट्रेक्टर, ऊटगाडी आदि साधन लाने ले जाने अपनी फसल काश्त करने बुवाई, जुताई, फसल लाने आदि के लिए और कोई रास्ता नही है। प्रार्थीयागण के खेत के लिए उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। जिसकी प्रार्थीयागण को सख्त आवश्यकता है।

6. यह कि प्रार्थीयागण ने अप्रार्थीगण को गत 5 रोज पूर्व कहा कि वह अपने खेत खसरा नम्बर 625 में आने जाने, जुताई, बुवाई, सिंचाई, फसल लाने ले जाने आदि के लिए ट्रेक्टर, ऊटगाडी आदि साधन लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 622 व खसरा नम्बर 621/1 व 621/2 तथा खसरा नम्बर 620 में से दक्षिणी मेड के सहारे सहारे चलता हुआ 12 फिट चोड़ा रास्ता पूर्व से पश्चिम चलता हुआ आम कटानी रास्ता जो खसरा नम्बर 620 के मध्य से जाता है जो गॉव पुहानियॉ से खानपुर से चितोसा को जाता है में मिल जाता है में से रास्ता दिया जावें तो अप्रार्थी गण ने रास्ता देने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीयागण को उसके खेत में जुताई, बुवाई, फसल आदि लाने ले जाने के लिए ट्रेक्टर, ऊंट गाडी आदि साधन लाने ले जाने के लिए अप्रार्थी गण ने अपने खेत में से आने जाने से रोक दिया। तब दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

7. यह कि आवेदिकागण न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क देने को तैयार है या अन्य शर्त जिसके लिए न्यायालय आदेश पारित करे कि पालना करने को तैयार है।

8. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा गत 5 रोज पूर्व प्रार्थीया गण को उसके खेत में ट्रेक्टर ऊट गाडी आदि साधन बुवाई जुताई करने फसल लाने ले जाने के लिए अपने खेत में से जाने से रोक दिया तब प्रार्थना पत्र के लिए आधार–विवाद पैदा हुआ अतः प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। जो अन्दर मियाद सेवामें में पेश है।

9. यह कि विवादित वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम पुहानियॉ तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान [illegible] है इसलिए प्रार्थना पत्र. सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय [illegible] है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायालय [illegible] पर श्रीमान जी की सेवामे पेश हैं।

11. यह कि प्रार्थीया का [illegible] के साथ पेश है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

12. यह कि प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल लिए जाने के बाद राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही हुआ।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

(क) प्रार्थीयागण की और से प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि वाके ग्राम पुहानियाँ तहसील बुहाना में स्थित प्रार्थीयागण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 625 में आने जाने, बुवाई, जुताई, सिंचाई कृषि जोत आदि के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 622 खसरा नम्बर 621/1 खसरा नम्बर 621/2 व खसरा नम्बर 620 में से दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम 12 फिट चोडा रास्ता चलता हुआ आम रास्ता जो पुहानियॉ से खानपुर से चितोसा को जाता है में मिल जाता है को कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में आम रास्ता का अमल दरामद कराया जाने की कृपा करे।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

1. आवेदक रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक (अत्यधिक) है तथा व जोत (हालिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है।
2. नये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।
3. प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू स आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित / दर्शित नक्शा ट्रेस संलग्न है।
4. प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की भूमि तक रास्ते को सीमांकित / दर्शित मार्ग निकटतम व लघुतम है।
5. नजरी के नक्शा के साथ प्रस्तावित रास्ते का नापः– (1) खसरा नम्बर 622 में 110 मीटर x 4 मीटर = 440 मीटर^2 (2) खसरा नम्बर 765/621 में 40 मीटर x 4 मीटर = 160 मीटर^2 (3) खसरा नम्बर 621 में 30 मीटर x 4 मीटर = 120 मीटर^2 (4) खसरा नम्बर 620 में 30 मीटर x 4 मीटर = 120 मीटर ^{2} कुल जिसका कुल रकबा 840 वर्ग मीटर होता है जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(4) **बहस सुनी गई।** पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।

(5) न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नही है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक को अपने खेत/मकान में आने जाने एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन / रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पुहानिया स्थित भूमि भूमि खसरा नम्बर 625 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 622 में 110 X 4 = 440 व.मी., खसरा नम्बर 765 / 621 में 40 X 4 = 160 व.मी., खसरा नम्बर 621 में 30 X 4 = 120 व.मी., खसरा नम्बर 620 में 30 X 4 = 120 व.मी अर्थात कुल रकबा 840 वर्गमीटर मीटर रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज कर खाता संख्या 1 में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम पुहानियां की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से गणना कर दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार / अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:12 IST
Reason: SelfAttested